RTI REQUEST DETAILS (आरटीआई अनुरोध विवरण)

Registration Number (पंजीकरण संख्या): MOCAV/R/X/25/00033
Date of Receipt (प्राप्ति की तारीख): 05/08/2025

Transferred From (से हस्तांतरित): संदर्भ संख्या: **MOCAV/R/X/25/00033 के साथ दिनांक 05/08/2025 को नागर विमानन मंत्रालय से**

Remarks (टिप्पणी): आवेदक को सीधे जानकारी प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 6(3) के तहत हस्तांतरित

Type of Receipt (रसीद का प्रकार): अन्य लोक प्राधिकारी से इलेक्ट्रॉनिकली हस्तांतरित

Language of Request (अनुरोध की भाषा): अंग्रेजी

Name (नाम): शिल्पा राज

Gender (लिंग): महिला

Address (पता): फ्लैट नं. 6, शांति भवन, साकेत, पिन: 110003

State (राज्य): दिल्ली

Country (देश): विवरण उपलब्ध नहीं है

Phone Number (फोन नंबर): +91-8129108411

Mobile Number (मोबाइल नंबर): +91-8129108411

Email-ID (ई-मेल आईडी): sreeshilparaj15@gmail.com

Status (स्थिति) (Rural/Urban): शहरी

Education Status (शैक्षणिक स्थिति): Above Graduate स्नातक से ऊपर

Requester Letter Number (पत्र संख्या): विवरण उपलब्ध नहीं है

Letter Date (पत्र की तारीख): विवरण उपलब्ध नहीं है

Is Requester Below Poverty Line? (क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का है?): नहीं

Citizenship Status (नागरिकता): भारतीय

Amount Paid (राशि का भुगतान): ₹0 (नागर विमानन मंत्रालय द्वारा प्राप्त) (मूल प्राप्तकर्ता)

Mode of Payment (भुगतान का प्रकार): भुगतान गेटवे

Does it concern the life or liberty of a person? (क्या यह किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है?): नहीं (सामान्य)

Request Pertains to (अनुरोध संबंधित है): दीपक नागपाल

Information Sought (माँगी गई जानकारी: बिन्दु संख्या 5 का उत्तर देने के लिए

Original RTI Text (मूल आरटीआई पाठ)

मैं घरेलू उड़ान बुकिंग के दौरान यात्रियों पर लगाए गए विभिन्न शुल्कों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं।

संदर्भ के लिए, नीचे एक हाल का घरेलू उड़ान किराया ब्रेकअप है जो मुझे मिला है:

- **हवाई किराया शुल्क**: 6665 रुपये
- **सीयूटीई शुल्क**: 50 रुपये
- **क्षेत्रीय संपर्क शुल्क**: 50 रुपये
- **विमानन सुरक्षा शुल्क**: 236 रुपये
- **उपयोगकर्ता विकास शुल्क**: 319 रुपये
- **आगमन उपयोगकर्ता विकास शुल्क: 66** रुपये
- **जीएसटी (केरल): 338** रुपये

उपरोक्त किराया घटकों के आधार पर, मैं निम्नलिखित सूचना चाहता/चाहती हूँ :

1. **सामान्य उपयोगकर्ता टर्मिनल उपकरण शुल्क**

(क) कृपया यह बताने का कष्ट करें कि सामान्य उपयोगकर्ता टर्मिनल उपकरण शुल्क किस उद्देश्य से लिया जाता है।

(ख) कृपया उस प्राधिकरण अथवा संस्था का विवरण उपलब्ध कराएं जो इस शुल्क की राशि निर्धारित करती है, साथ ही इससे संबंधित नियम, परिपत्र अथवा अधिसूचनाओं की प्रतियां भी उपलब्ध कराएं।

(ग) कृपया स्पष्ट करें कि टिकट निरस्त होने की स्थिति में यह शुल्क वापस किया जाता है अथवा नहीं। यदि यह शुल्क वापस नहीं किया जाता है तो इसका विनियामक आधार या औचित्य बताया जाए।

(घ) यदि यह शुल्क वापस किया जाता है, तो कृपया धनवापसी की प्रक्रिया से संबंधित नीति अथवा परिपत्र की प्रति उपलब्ध कराएं।

2. **क्षेत्रीय संपर्क शुल्क**

(क) कृपया वे परिपत्र, आदेश अथवा नीति दस्तावेज उपलब्ध कराएं जिनके अंतर्गत क्षेत्रीय संपर्क योजना के मार्गों पर यात्रा न करने वाले यात्रियों से भी यह शुल्क लिया जाता है।

(ख) कृपया बताएं कि क्या नीति ढांचे में ऐसा कोई प्रावधान है जिसके अंतर्गत कोई यात्री क्षेत्रीय संपर्क योजना में योगदान देने से स्वयं को अलग कर सकता हो? यदि नहीं, तो कृपया वह औचित्य अथवा टिप्पणी उपलब्ध कराएं जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि यह योगदान अनिवार्य क्यों किया गया है।

3. **विमानन सुरक्षा शुल्क**

(क) कृपया यह बताएं कि विमानन सुरक्षा शुल्क की राशि किस प्राधिकरण अथवा संस्था को जमा की जाती है।

(ख) कृपया इस शुल्क के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराएं तथा उससे संबंधित नीति दस्तावेज अथवा परिपत्र की प्रति भी उपलब्ध कराएं।

(ग) कृपया वे दस्तावेज अथवा नीति टिप्पणियां उपलब्ध कराएं जिनमें यह स्पष्ट किया गया हो कि मेट्रो रेल जैसे अन्य परिवहन क्षेत्रों में इसी प्रकार का सुरक्षा शुल्क क्यों नहीं लिया जाता।

(घ) यदि यह शुल्क केवल विमानन सुरक्षा (जैसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) के लिए लिया जाता है, तो कृपया स्पष्ट करें कि क्या यात्रियों से अन्य आवश्यक सेवाओं, जैसे विमान परिचालन दल की सहायता, माल प्रबंधन तथा हवाईअड्डे की सफाई एवं रखरखाव सेवाओं के लिए पृथक शुल्क लेने संबंधी कोई नीति-निर्णय अथवा प्रस्ताव विचाराधीन है। यदि हाँ, तो उससे संबंधित अभिलेखीय टिप्पणियां अथवा विचार-विमर्श उपलब्ध कराएं।

(ङ) उड़ान निरस्त होने की स्थिति में विमानन सुरक्षा शुल्क की धनवापसी किस नीति के अंतर्गत की जाती है, उसकी प्रति उपलब्ध कराएं।

4. उपयोगकर्ता विकास शुल्क तथा आगमन उपयोगकर्ता विकास शुल्क

(क) कृपया इन शुल्कों के विशिष्ट उद्देश्य को स्पष्ट करें तथा इन्हें अधिकृत करने वाले परिपत्र अथवा शुल्क निर्धारण आदेशों की प्रतियां उपलब्ध कराएं।

(ख) कृपया बताएं कि यदि कोई यात्री टिकट निरस्त कर देता है अथवा यात्रा नहीं करता है, तो क्या ये शुल्क वापस किए जाते हैं? कृपया धनवापसी से संबंधित लागू दिशा-निर्देश अथवा नियम भी उपलब्ध कराएं।

(ग) क्या इस प्रकार के अवसंरचना विकास शुल्क अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों, जैसे मेट्रो, रेलवे अथवा बैंकिंग सेवाओं के उपयोगकर्ताओं से भी लिए जाते हैं? यदि नहीं, तो कृपया नागर विमानन क्षेत्र में ऐसे शुल्क लगाए जाने के संबंध में नीति-आधारित औचित्य उपलब्ध कराएं।

5. अन्य

(क) क्या मंत्रालय द्वारा यात्रियों पर लगाए जाने वाले इन विभिन्न शुल्कों के समग्र वित्तीय भार का आकलन करने हेतु कोई प्रभाव मूल्यांकन, लागत लेखा-परीक्षण अथवा मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार कराया गया है? यदि हाँ, तो कृपया उसकी प्रति उपलब्ध कराएं।

अनुरोध के शेष भाग निम्नलिखित पंजीकरण संख्याओं के अंतर्गत संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों को अग्रेषित कर दिए गए हैं:

पंजीकरण संख्या	संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी	वर्तमान स्थिति	समापन तिथि
MOCAV/R/T/25/00033	अमित कुमार झा	अनुरोध केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को अग्रेषित किया गया	–

पंजीकरण संख्या	संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी	वर्तमान स्थिति	समापन तिथि
MOCAV/R/T/25/00033/1	दीपक नागपाल	अनुरोध केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को अग्रेषित किया गया	_
MOCAV/R/T/25/00033/2	विजय प्रकाश सिंह	अनुरोध केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को अग्रेषित किया गया	_
MOCAV/R/T/25/00033/3	सुरेश बाबू	अनुरोध केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को अग्रेषित किया गया	_